राजस्व अपील संख्या 372/2018 नरसिंहराम वगै बनाम महेन्द्रराम वगैराह

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज	नम्बर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
22/8/2022	पत्रा[illegible] अपीलान्टस के अधिवक्ता के द्वारा आज दिनांक 22.[illegible] को एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व अपील संख्या 372/[illegible]18 अनवान नरसिंहराम बनाम महेन्द्र वगैराह की पत्रावली तलब करने पर आज पेश हुई। अपीलान्टस नरसिंहराम एवं श्रीमती सायरी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट महेन्द्रराम एवं राजूराम तथा उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। पक्षकारान के द्वारा एक राजीनामा पत्र भी पेश किया तथा यह निवेदन किया कि हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के द्वारा राजस्व अपील संख्या 17/2013 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के तहत न्यायालय ने नामा0 संख्या 1165 मौजा गजसिंहपुरा को खारिज कर तहसीलदार भोपालगढ को रिमाण्ड किया था। उक्त अपील के लम्बित रहने के दौरान पक्षकारों में राजीनामा लोक अदालत की भावना से कर लिया है, जिसके अनुसार नामा0 संख्या 1165 मौजा गजसिंहपुरा को यथावत रखना तय किया गया है अर्थात अपील को स्वीकार किये जाने में प्रत्यार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्यार्थीगण इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, यानि विवादग्रस्त भूमि जो नरसिंहराम के नाम से दर्ज है, उसे नरसिंहराम के नाम ही रखना चाहते है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार कर अपील को स्वीकार कर नामा0 संख्या 1165 को यथावत रखा जाने का आदेश फरमाया जावें। हमने प्रकरण पत्रावली, अपीलाधीन आदेश एवं राजीनामा पत्र का अवलोकन किया। उक्त कम में प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना एवं राजीनामा पत्र को मध्येनजर रखते हुए इस प्रकार से किया जाता है कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के द्वारा राजस्व अपील संख्या 17/2013 में पारित आदेश दिनांक 29.6.2018 को निरस्त किया जाता है तथा राजीनामा के अनुरूप प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करने हेतु तहसीलदार भोपालगढ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे मूल राजीनामें के अनुरूप पक्षकारान की उपस्थिती में नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर	